शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-4170/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर, आजमगढ़, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मेरठ, गाजियाबाद, जी.बी.नगर, अमरोहा, रामपुर, मुजफ्फरनगर एवं गाजीपुर।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक- 17 दिसम्बर, 2018

विषयः- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद् गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5462/सा0-2/बारह/569/2018-19, दिनांक-03.12.2018 (सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचित किया गया है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद् गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु उपरोक्त जनपदों द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण आदेश की प्रति अभी तक निदेशालय, पशुपालन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त जनपदों में वृहद् गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु तत्काल भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि जनहित में प्रश्नगत कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जा सके।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,
15.12.18
(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

प0सं0-4170(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त आयुक्त, सम्बन्धित मण्डल, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि प्रश्नगत प्रकरण में तत्काल भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पशुधन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संख्याः 5467/सा0–2/बारह/569/2018–19 दिनॉक– 03/12/18

विषयः निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर **प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद् गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3938/सैंतीस–2–2018–5(2)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 68 जनपदों मे वृहद् गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि के पुनर्ग्रहण सम्बन्धी सूचना एवं मुख्य अभियन्ता यू0पी0आर0एन0एस0एस0 (पैकफेड) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं में साम्यता न होने के कारण भूमि की उपलब्धता की अद्यावधिक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.2018 को निदेशालय में समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिरियों एवं मण्डलीय अपर निदेशकों की बैठक में वृहद् गो–संरक्षण केन्द्र के भूमि पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में समीक्षा की गई तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों की मौखिक सूचना के आधार पर भूमि पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध कराई गई। बैठक में सभी मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश की छायाप्रति निदेशालय को उपलब्ध करायें। प्रदेश के 68 जनपदों में से निम्न जनपदों में भूमि पुनर्ग्रहण आदेश की छायाप्रति इस कार्यालय को मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

भूमि अधिगृहीत 50 जनपदों की सूची

आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मऊ, बलिया, शाहजहांपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराईच, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, बागपत, हापुड़, बुलन्दशहर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, मुरादाबाद, सम्भल, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, वाराणसी, जौनपुर, चन्दौली।

उक्त के अतिरिक्त निम्न जनपदों द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण आदेश की छायाप्रति इस कार्यालय को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैः–

मथुरा, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर, आजमगढ़, बरेली बदायूँ, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मेरठ, गाजियाबाद, जी0बी0नगर, अमरोहा, रामपुर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर।

भवदीय,
30-11-18

(डा0चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्याः 5462/सा0–2/बारह/569/2018–19 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता यू0पी0आर0एन0एस0एस0 (पैकफेड) लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

30-11-18

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

Neelmani-101